

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) पूगल

213
1813

कार्यवाही विवरण पत्रिका "द"

सरकार बनाम मुख्यार हुलेन

उपयोग संचालिका अन्तर्गत धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 18-19

क्रमांक 91/19

सन् 2075

आज्ञा की दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	पत्रांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया गया।
<p>4/3/19</p>	<p>आज यह पत्रावली पटवारी हलका <u>राठासर</u> की पी-14 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मुरतिब की गई। रिपोर्ट पटवारी हलका के मुताबिक श्री <u>मुख्यार हुलेन</u> पुत्र <u>मोम्मड हुलेन</u> निवासी <u>जलावाली</u> के ग्राम / चक <u>139D</u> के मु.नं./ख.नं. <u>68/55</u> किला नं. <u>0.12</u> में कुल रकबे <u>5.14</u> पर फसल सम्बत् 2075 खरीफ में अनाधिकृतरूप से काश्त कर रकबाराज / चारागाह / गैर-मुमकिन भूमि में अतिक्रमण किया है।</p> <p>अतः उक्त अतिक्रमी <u>मुख्यार हुलेन</u> के विरुद्ध राज. उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा -22 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किया जाए तथा प्रथम दृष्टया अतिक्रमण मानते हुए मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने के आदेश सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को जारी किए जाएं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाए और आईन्दा दिनांक <u>18/3/19</u> को पेश हो।</p>	
<p>12/3/19</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई। भद्रार्थी को भौर ले जवाब पेश वही हुआ भद्रार्थी को भतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग ले लिखा जाकर अलग पत्रावली रहे। पत्रावली प्रिंसल सुमार होकर अवर ले कम ले।</p>	